भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2007
दिनांक 06 अगस्त, 2025/15 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बारिश व वज्रपात से हुई जनहानि

2007 # श्री नीरज डांगी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में हुई भारी बारिश और वज्रपात से हुई जनहानि का राज्य – वार ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसी घटनाओं में हुई मानव मृत्यु, पशु मृत्यु और नष्ट हुई फसलों का राज्य -वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओ के चलते पीड़ित परिवारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा लोगों को वज्रपात से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान किए जाने का आभाव है ; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए क्या उचित उपाय किए जा रहे है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): मंत्रालय भारी बारिश और वज्रपात गिरने सहित किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान का केंद्रीय स्तर पर डेटा नहीं रखता है। हालाँकि, विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-2026 (30.07.2025 तक) के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं से हुए नुकसान का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके

राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2007, दिनांक 06.08.2025

पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।
राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई निधि का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ): नहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गरज और वज्रपात के खतरों की निर्बाध निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनियों के प्रसार के लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित की है। यह निगरानी प्रणाली सतही अवलोकनों, एक व्यापक रडार नेटवर्क, उपग्रह-आधारित प्लेटफ़ॉर्म और भू-आधारित वज्रपात पहचान प्रणाली को एकीकृत करती है। यह प्रणाली ज़िला और शहर स्तर तक स्थान-विशिष्ट निगरानी को सक्षम बनाती है, जिसका अस्थायी समाधान मिनटों से लेकर घंटों तक होता है। यह वर्तमान में पूरे भारत में रणनीतिक रूप से वितरित 102 सेंसरों वाला एक भू-आधारित वज्रपात पहचान प्रणाली संचालित करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल और संक्षिप्त-स्तरीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए, 5 दिन पहले तक गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी करता है। ये पूर्वानुमान मौसम विज्ञान उप-मंडल और ज़िला स्तर पर बहु-जोखिम रंग-कोडित प्रारूपों में प्रदान किए जाते हैं, और हर छह घंटे में अपडेट किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ज़िला और स्टेशन स्तर पर गरज और वज्रपात के लिए रंग-कोडित तत्कालिक सूचना प्रदान करता है, जो हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। ये तत्कालिक सूचना उपग्रह चित्रों, रडार अवलोकनों और भू-आधारित वज्रपात पहचान प्रणाली के डेटा पर आधारित होते हैं।

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे ने वज्रपात गिरने की सटीक स्थिति और पता लगाने के लिए देश भर में फैले 112 सेंसरों वाला एक आकाशीय बिजली प्रणाली स्थापित किया है। चूँकि प्रत्येक सेंसर 200 से 250 किलोमीटर के दायरे में कवरेज प्रदान कर सकता है, इसलिए अब पूरा देश इस नेटवर्क के अंतर्गत आ गया है। लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी का उपयोग करके, दामिनी: आकाशीय बिजली चेतावनी प्रणाली नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप उपयोगकर्ता के आस-पास वर्तमान में हो रही वज्रपात गिरने की सटीक स्थिति बताता है और 20 से 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में वज्रपात गिरने की चेतावनी पहले ही जारी कर देता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 28 फरवरी, 2025 को आंधी, तूफान, वज्रपात, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की रोकथाम और प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में ऐसी मौसम संबंधी घटनाओं के दौरान जीवन की सुरक्षा के लिए निवारक और तैयारी के उपायों का विवरण दिया गया है।

केंद्र सरकार ने दस (10) राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 50 वज्रपात संभावित जिलों के लिए 186.78 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय पर "वज्रपात सुरक्षा शमन परियोजना" को मंजूरी दी है।

इस परियोजना का उद्देश्य वज्रपात गिरने से होने वाली मानव मृत्यु दर, पशुधन की हानि और बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करना है। इस परियोजना का उद्देश्य वज्रपात जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और तकनीकी प्रगति के माध्यम से आत्मनिर्भरता विकसित करना भी है।

***

राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2007, दिनांक 06.08.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2025-26 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित क्षति का विवरण

30.07.2025 तक अनंतिम

क्र. सं.	राज्य	मानव जीवन की हानि (संख्या)	खोया हुआ पशु (सं.)	प्रभावित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	343	--	--
2	अरुणाचल प्रदेश	14	369	1714.47
3	असम	32	14269	30474.89
4	बिहार	101	--	--
5	छत्तीसगढ	27	--	--
6	गोवा	02	--	--
7	गुजरात	70	698	--
8	हरियाणा	--	--	--
9	हिमाचल प्रदेश	195	23992	--
10	झारखंड	--	--	--
11	कर्नाटक	102	--	20245.00
12	केरल	97	--	-
13	मध्य प्र.	243	1625	-
14	महाराष्ट्र	90	233	91429.00
15	मणिपुर	07	--	1440.00
16	मेघालय	14	--	6372.30
17	मिजोरम	17	--	--
18	नगालैंड	03	--	541.00
19	ओडिशा	02	--	753.00
20	पंजाब	24	--	3569.11
21	राजस्थान	79	40	--
22	सिक्किम	08	--	7.30
23	तमिलनाडु	--	--	--
24	तेलंगाना	--	--	--
25	त्रिपुरा	24	07	--
26	उत्तर प्रदेश	23	--	21.00
27	उत्तराखंड	71	67	9.47
28	पश्चिम बंगाल	--	--	--
29	अंडमान और निकोबार	01	--	--
30	चंडीगढ़	--	--	--
31	दादर और नगर हवेली	--	--	--
32	दिल्ली	--	--	-
33	जम्मू और कश्मीर	37	11067	1241.09
34	लद्दाख	--	--	--
35	लक्षद्वीप	--	--	--
36	पुदुचेरी	--	--	--
	कुल	1626	52367	157817.63

*****